न्यायालय–प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर – खीरी।

सत्र वाद संख्या–416/2019

सरकार बनाम लालाराम

03.06.2026

1– पत्रावली पेश की गयी। **मृतक अभियुक्त लालाराम पुत्र कोमल, ग्राम–रामपुर, विकास खण्ड–बिजुआ, थाना–भीरा, जिला–खीरी** की मृत्यु आख्या पत्रावली पर संलग्न है। न्यायालय साक्षी /तामील कुनिन्दा **उ०नि०ब्रजेश कुमार सिंह(निलम्बित), थाना–भीरा**, जिला–लखीमपुर खीरी तथा ग्राम प्रधान **महेश सिंह ग्राम पंचायत रामनगरकलां, विकास खण्ड बिजुआ, थाना–भीरा**, जनपद–लखीमपुर खीरी, का साक्ष्य अंकित किया जा चुका है।

2– मृतक/अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध जारी गैर जमानतीय अधिपत्र के आलोक में तामील कुनिन्दा उपनिरीक्षक उपरोक्त, द्वारा यह आख्या दी गयी कि एन०बी०डब्लू० का तामीला उनके द्वारा किया गया तो ज्ञात हुआ कि अभियुक्त उपरोक्त की मृत्यु को हो चुकी है। मृत्यु के संबंध में ग्राम प्रधान उपरोक्त द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र दिया गया है। जो मृत्यु आख्या के साथ संलग्न पत्रावली है। इस साक्षी ने न्यायालय के समक्ष बयान देते हुये यह बताया है कि मृत्यु आख्या मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, उक्त दस्तावेज पर प्रदर्श C–1 डाला गया। ग्राम प्रधान उपरोक्त द्वारा भी यह साक्ष्य दिया गया है कि अभियुक्त उपरोक्त की मृत्यु लगभग आठ माह पूर्व हो चुकी है। वह मृतक अभियुक्त को भलीभांति जानता पहचानता था, थाने से पुलिस वाले जांच के लिये आये थे, और उसने उनको मृत्यु के संबंध में बताया था तथा मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाकर दिया था, इस बने हस्ताक्षर उसके हैं, जिस पर प्रदर्श C–2 अंकित किया गया।

3– मृतक अभियुक्त उपरोक्त का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न हैं, जिसका अवलोकन मेरे द्वारा किया गया, जिसके अनुसार अभियुक्त उपरोक्त की मृत्यु हो चुकी है।

4– न्यायालय द्वारा तामील कुनिन्दा उपनिरीक्षक उपरोक्त को बतौर न्यायालय साक्षी सं० –1 तथा ग्राम प्रधान उपरोक्त को न्यायालय साक्षी सं०–2 के रूप में परीक्षित कराया गया।

5– उक्त आख्या एवं मृत्यु प्रमाण पत्र तथा बयान के अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियुक्त उपरोक्त की मृत्यु हो चुकी है। यह भी उल्लेखनीय है कि मामले में एक मात्र अभियुक्त है। इसलिए अभियुक्त उपरोक्त की विरूद्ध अपराध उपसमित किये जाने योग्य है।

आदेश

6– अभियुक्त लालाराम पुत्र कोमल, ग्राम–रामपुर, विकास खण्ड–बिजुआ, थाना–भीरा, जिला–खीरी की मृत्यु होने के कारण उसके विरूद्ध सत्र परीक्षण सं०–416/2019 के प्रकरण की कार्यवाही उपशमित की जाती है। आदेश की एक प्रति सत्र परीक्षण सं० –417/2019, अं०धारा–3/25 आयुध अधिनियम की पत्रावली पर भी रखी जाये, तदानुसार दोनों पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जावे।

दिनाँक–03.06.2026

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
लखीमपुर – खीरी
JO CODE–UP 6081

Digitally signed by ASHOK KUMAR DUBEY
Date: 2026.06.03 15:26:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court